

राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-182 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-183 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)वित्त/कर/09 पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-184 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-185 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-186 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार विभाग को जेलों की कर्मशालाओं में विनिर्मित या उत्पादित माल के विक्रय पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-187 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-188 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-189 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-190 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(74)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 14.8.2015 में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-191 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में, दिनांक 16.2.2016 से संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-192 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197 दिनांक 9.3.2015 में, दिनांक 1.1.2016 से संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-193 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में, दिनांक 9.3.2015 से संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-194 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)वित्त/कर/2003-137 दिनांक 8.2.2016 में, दिनांक 8.2.2016 से संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-195 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-170 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-196 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-172 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-197 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-173 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-198 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-199 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-208 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-200 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 में संशोधन किया गया है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-201 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-202 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-24 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-203 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-41 के अन्तर्गत आकस्मिक व्यवहारियों द्वारा भुगतान की रीति निर्धारित की गई है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-204 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-205 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-206 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-8 दिनांक 23.4.2015 में संशोधन किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-207 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-208 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-209 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-210 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा प्रवेश कर के लिये स्वैच्छिक एमनेस्टी योजना, 2016 लागू की गई है ;
30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-211 दिनांक 8.3..2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;
31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-212 दिनांक 8.3..2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत होटलों के वर्ग हेतु कर की दर निर्धारित की गई है;
32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-213 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-214 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत बिना कब्जा वाले बंधक एवं अतिरिक्त भार के दस्तावेजों पर अधिकतम 10 लाख रुपये के अध्यक्षीन स्टाम्प ड्यूटी की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत किया गया है;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-215 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
35. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-216 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा बाड़मेर जिले के पचपदरा एवं जसौल क्षेत्रों में दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक के कारण पंजीयन से वंचित रहे पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-217 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति के विभाजन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है;
37. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-218 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पारिवारिक समझौते के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है ;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-219 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(34)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 18.8.2010 को विखण्डित किया गया है;
39. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-220 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत ईडब्लूएस तथा एलआईजी श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय इकाईयों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
40. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-221 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा दिनांक 9.3.2015 से पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी एवं बैंक गारंटी के नवीनीकरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
41. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-222 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
42. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-223 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-51 दिनांक 14.7.2014 को विखण्डित किया गया है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-224 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 9.3.2015 एवं उसके पश्चात् निष्पादित बैंक गारंटी के नवीनीकरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
44. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-225 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद 5-डी तथा अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
45. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-226 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख में विनिर्दिष्ट कम्पनियों एवं भागीदारी फर्मों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
46. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये छात्रों द्वारा या उनकी ओर से 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिये निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
47. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत सहायता प्राप्त करने वाले द्वारा स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिये 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
48. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु बैंकों/वित्तीय कम्पनियों के साथ निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
49. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निष्पादित रिवर्स मोरगेज के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
50. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-231 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा-35 एवं 36 के तहत अधिनिर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में दस्तावेजों के निष्पादन की दिनांक से कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय की दिनांक तक ब्याज में छूट प्रदान की गई है;

51. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-232 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-152 दिनांक 9.3.11 में संशोधन किया गया है;
52. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-233 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-3-ख के अन्तर्गत गाय एवं गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कतिपय दस्तावेजों पर सरचार्ज लगाया गया है;
53. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-234 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
54. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-235 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
55. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-236 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-225 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
56. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-237 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
57. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-238 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा वर्ष राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-58 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिये कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरें निर्धारित की गई हैं;
58. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-239 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
59. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-240 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
60. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-241 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
61. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-242 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उप-धारा(2) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5(डी), 6, 30(बी)(II) तथा 37(बी) में विनिर्दिष्ट ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

62. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/9जी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(262)परि/कर/मु/07/9एफ-167 दिनांक 9.3.2007 में, दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;
63. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/25सी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/25 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में, दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है ;
64. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1यू दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1आर दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
65. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27ए दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 दिनांक 9.3.2015 में, इसके द्वारा दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है ;
66. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/24डी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/09/24सी दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए यानों के लिये कर की दर निर्धारित की गई है;
67. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27बी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विशेष पथ कर में छूट प्रदान की गई है;
68. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27सी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्रीन सेस में छूट प्रदान की गई है;
69. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3एम दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3एच दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
70. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/22डी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/22सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
71. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/11एन दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/11के दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में, दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;
72. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27डी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एकबारीय कर, ग्रीन सेस, सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है;
73. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27ई दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

74. आदेश संख्या:एफ.12(11)वित्त/कर/2016-243 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2014 में संशोधन किया गया है;
75. आदेश संख्या:एफ.12(11)वित्त/कर/2016-244 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-I-115 दिनांक 8.10.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
76. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-245 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-I-116 दिनांक 8.10.2014 में संशोधन किया गया है;
77. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-246 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-I-117 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित कर स्कीम के प्रयोजनों हेतु दिनांक 8.10.2014 से कतिपय क्षेत्रों को अति पिछड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है; एवं
78. आदेश संख्या:एफ.12(11)वित्त/कर/2016-247 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम,2010 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

- (I) श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।
- (II) श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर प्रकाम्य लिखित अधिनियम (एनआईए) के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- (II) श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा, राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा, जिला-बारां में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य छात्रों को भी प्रवेश देने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- (III) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कतिपय क्षेत्रों में सीवरेज लाईन डालने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक : 10 मार्च, 2016